न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–74 / 2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

झमन ठाकुर

बनाम्

बिन्दु देवी एवं अन्य

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया झमन ठाकुर, पिता–स्व0 झंगर ठाकुर, सा0–महुआमिलान, पो0–रोल, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् क्रेता बिन्दु देवी पिता–झमन ठाकुर पति–नरेश ठाकुमर, वर्तमान पता सा0–महुआमिलान, पो0–रोल, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार स्थायी पता–शिव मंदिर नेउरी, थाना–कांके, जिला–रांची वो निमा देवी, पिता–झमन ठाकुर, पति–विजय ठाकुर, वर्तमान पता सा0–महुआमिलान, पो0–रोल, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार स्थायी पता–सुआ, थाना–मेदिनीनगर, जिला–पलामू के साथ मौजा–महुआमिलान अंचल– चन्दवा, खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–1197 रकबा–0.15 एकड़, प्लॉट संख्या–1200, रकबा–0.11 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1612 रकबा–1.00 एकड़, कुल रकबा–1.26 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया। दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 23.07.2024 को सशरीर उपस्थित होकर जमीन का उचित बाजार मूल्य पर क्रय–विक्रय के लिए सहमति व्यक्त करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक–637 दिनांक 29.07.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक–637 दिनांक 29.07.2024 के

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा–महुआमिलान अंचल– चन्दवा, खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–1197 रकबा–0.15 एकड़, प्लॉट संख्या–1200, रकबा–0.11 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1612 रकबा–1.00 एकड़, कुल रकबा–1.26 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल–2.01 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। क्रेता बिन्दु देवी पति–नरेश ठाकुर, ग्राम–नेउरी, थाना–कांके, जिला–रांची एवं निमा देवी पति–विजय कुमार ठाकुर, ग्राम–सुआ, थाना–मेदिनीनगर, जिला–पलामू के निवासी है। अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा दोनों क्रेताओं को अन्यत्र जिला रांची एवं पलामू के निवासी होने के कारण भूमि बिक्री की अनुमति नहीं प्रदान करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, चन्दवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता झमन ठाकुर, पिता–स्व0 झंगर ठाकुर, सा0–महुआमिलान, पो0–रोल, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार द्वारा क्रेता बिन्दु देवी पिता–झमन ठाकुर पति–नरेश ठाकुमर, वर्तमान पता सा0–महुआमिलान, पो0–रोल, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार स्थायी पता–शिव मंदिर नेउरी, थाना–कांके, जिला–रांची वो निमा देवी, पिता–झमन ठाकुर, पति–विजय ठाकुर, वर्तमान पता सा0–महुआमिलान, पो0–रोल, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार स्थायी पता–सुआ, थाना–मेदिनीनगर, जिला–पलामू के साथ मौजा–महुआमिलान अंचल– चन्दवा, खाता संख्या–38 प्लॉट संख्या–1197 रकबा–0.15 एकड़, प्लॉट संख्या–1200, रकबा–0.11 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1612 रकबा–1.00 एकड़, कुल रकबा–1.26 एकड़ भूमि बिक्री अनुमति हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं अंचल अधिकारी, चन्दवा को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 15:53:53 +05:30
Location: 192.168.164.143

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Scanned with CamScanner